उद्योग बन्धु
डायरी नं० 7116
दिनांक 4.6.18

J.T. ED/ub
di KS/md/SiAHfday
01-6-18

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
संख्या-2042/77-6-18-एल.सी.135/2015
लखनऊ : दिनांकः 31 मई, 2018

कार्यालय ज्ञाप

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा -135 में कारपोरेट सोशल रेस्पांसबिलिटी (सी.एस.आर.) के सम्बंध में व्यवस्था दी गयी है कि प्रत्येक वह कम्पनी जिसका नेटवर्थ रू. 500 करोड़ या उससे अधिक है अथवा टर्नओवर रू. 1000 करोड़ अथवा अधिक है अथवा नेट प्राफिट रू. 5.00 करोड़ अथवा अधिक है, में निदेशक मण्डल की कारपोरेट सोशल रेस्पांसबिलिटी (सी. एस.आर.) कमेटी गठित होगी। उक्त समिति द्वारा कम्पनी/ सार्वजनिक उपक्रम के लिए कारपोरेट सोशल रेस्पांसबिलिटी (सी.एस.आर.) पालिसी तैयार करनी होगी और शेड्यूल-7 में इंगित कार्यकलापों हेतु धनराशि व्यय करने की संस्तुति तथा उपरोक्त कारपोरेट सोशल रेस्पांसबिलिटी (सी.एस.आर.) के अनुश्रवण का कार्य करेंगी।

2- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-135 (5) में यह भी व्यवस्था है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, गत तीन वर्षो के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत कारपोरेट सोशल रेस्पांसबिलिटी (सी.एस.आर.) पालिसी में इंगित कार्यकलापों के सम्पादन में व्यय करना होगा। साथ ही कार्यकलापों के सम्पादन हेतु कम्पनी/ सार्वजनिक उपक्रम के स्थानीय कार्य क्षेत्र को वरीयता दिये जाने का भी प्राविधान है। इस कार्य के विनियमन हेतु The Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 भी प्रख्यापित किया गया है। प्रदेश में कारपोरेट सोशल रेस्पांसबिलिटी (सी.एस.आर.) के अन्तर्गत कार्यो को गति देने के लिये शासनादेश संख्या-1503/77-6-15-एल.सी.135/2015 दिनांक 03-11-2015 को संशोधित करते हुए कार्यालय-ज्ञाप संख्या-600/77-6-17-एल.सी.135/2015, दिनांक 16.06. 2017 द्वारा **कारपोरेट सोशल रेस्पांसबिलिटी (सी.एस.आर.) प्रकोष्ठ का गठन किया गया है,** जो अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के अन्तर्गत कार्य करेगा। तदुपरान्त् शासन के पत्र संख्या-586/77-6-18-एल0सी0-135/2015, दिनांक 19.02.2018 द्वारा अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु को यह निदेश दिया गया कि **कारपोरेट सोशल रेस्पांसबिलिटी (सी.एस.आर.) प्रकोष्ठ से सम्बन्धित समस्त कार्य उद्योग बन्धु द्वारा किये जायेंगे।**

कारपोरेट सोशल रेस्पांसबिलिटी (सी.एस.आर.) प्रकोष्ठ के सदस्य निम्नवत् होंगेः-

क्रमांक0	नाम	विवरण
1	सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग/अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु।	अध्यक्ष
2	विशेष सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग-6	सदस्य
3	निदेशक-01 / कन्सलटेन्ट-02 / कनिष्ठ सहायक-01/ वित्त विशेषज्ञ-01	उपर्युक्त पदों पर अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु द्वारा नामित किया जायेगा।

3- यह प्रकोष्ठ प्रदेश में आवश्यक परियोजनाओं के चिन्हीकरण हेतु प्रदेश के सम्बन्धित विभागों से अथवा कम्पनी/सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

4- सभी विभाग औद्योगिक विकास विभाग में कारपोरेट सोशल रेस्पांसबिलिटी(सी0एस0आर0) के अन्तर्गत अपना प्रोजेक्ट सी0एस0आर0 प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराएगें जिसे प्रकोष्ठ द्वारा कम्पनी/ निजी सार्वजनिक उपक्रमों को सेवा उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित किया जाएगा। प्रकोष्ठ द्वारा प्रोजेक्ट से संबंधित प्रकरणो को सक्षम स्तर पर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव जो भी निर्धारित किया जाएगा, के स्तर पर बैठक आयोजित करके कम्पनी/उपक्रमों को प्रोजेक्ट का कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जो कम्पनियॉ प्रोजेक्ट्स पर कार्य करना चाहती है, उन्हें परीक्षणोपरान्त प्राप्त सहमति के आधार पर निर्धारित शर्तो पर कार्य किए जाने हेतु प्रोजेक्ट्स आबंटित कर दिए जाएगें। इस बात का अनुश्रवण, प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता रहेगा कि प्रकरण में निर्देशानुसार कार्य सम्पादित हो रहे हैं। प्रकोष्ठ द्वारा प्रोजेक्ट्स के अभिलेख सुरक्षित रखे जाएगें तथा इसका विवरण भी रखा जाएगा कि किस-किस कम्पनी द्वारा कौन-कौन से प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं।

5- यह प्रकोष्ठ अपना अनुश्रवण कार्य जनपद स्तरीय अधिकारियो से कराने हेतु सक्षम रहेगा। सी0एस0आर0 के कार्यो के अनुश्रवण हेतु सी0एस0आर0 प्रकोष्ठ का अपना पोर्टल होगा जिसके माध्यम से कम्पनी/निजी सार्वजनिक उपक्रमों से सूचना का आदान-प्रदान व जनपद स्तर तक समन्वय स्थापित करेगा।

भवदीय,

संतोष कुमार यादव
सचिव

संख्या-2042/77-6-18-एल.सी.135/2015 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) समस्त संबंधित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
(3) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरों, उ.प्र. लखनऊ।
(4) प्रबंध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
(5) प्रबंध निदेशक, उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम, कानपुर।
(6) प्रबंध निदेशक, उ.प्र. वित्तीय निगम, कानपुर।
(7) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त शाखा के समस्त अधिकारी।
(8) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12-सी मॉल एवेन्यू, लखनऊ।
(9) समस्त उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र।
(10) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोयडा/ग्रेटर नोयडा/गीडा/बीडा/सीडा/लीडा।
(11) औद्योगिक विकास विभाग के शाखा के समस्त अनुभाग।
(12) गार्ड फाइल/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(बाबू राम)
अनु सचिव